FOOD SAFETY APPELLATE TRIBUNAL
JAIPUR, RAJASTHAN

APPEAL NO.FA/0012/2017

Satyanarayan
Vs.
State of Rajasthan

<u>RECORD OF PROCEEDINGS</u>

Date – 05.12.2017
Present :-
Shri Mayank Gupta, Advocate for appellant
Shri V.D. Gathala, Advocate for respondent State

मैसर्स अशोक फूड एण्ड ऑयल इण्डस्ट्रीज, ए 238 फेज–1, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली जयपुर हाइवे, बहरोड़, जिला अलवर के अधिवक्ता ने स्वयं का हस्ताक्षरित जवाब पेश किया। निर्देशित किया जाता है कि तथ्यों पर जवाब पक्षकार के हस्ताक्षर से मय शपथपत्र के पेश करें। मैसर्स नरेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी, नई मण्डी, दौसा को नोटिस जारी किया जावे। नोटिस के साथ आदेश दिनांक 13.11.2017 की प्रति प्रेषित की जावे।

अपीलान्ट दिनांक 13.11.2017 की पालना करने को समय चाहते है। योग्य अधिवक्ता अपीलान्ट का कथन है कि उनके पक्षकार ने जिससे माल खरीद किया, उसका बिल पेश किया है परन्तु अपीलान्ट उस पक्षकार की असालतन पहचान करावे। इस तथ्य की जांच करने के लिए उत्तरदायित्व अधिकरण पर नहीं डाला जा सकता, न ही प्रत्यर्थी राज्य सरकार पर डाला जा सकता है कि जिस नाम से बिल पेश किया है उस व्यक्ति को वह ढूंढे। अपीलार्थी ने यदि माल विक्रय करने हेतु खरीद किया है और उसका बिल पेश किया है तो उस व्यापारी (ट्रेडर्स) की व्यक्तिगत पहचान सुनिश्चित करावे अन्यथा यह माना जायेगा कि विक्रित किया गया खाद्य पदार्थ का अपीलार्थी ही निर्माता है और उसने कूटरचित दस्तावेज बनाकर उसे काम में लिया है। प्रकरण काफी पुराना हो चुका है। पक्षकारान आदेश की पालना जल्द से जल्द करे।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 17.01.2018 को पेश हो।

(Umesh Kumar Sharma)
Presiding Officer